

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवसार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए जा
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यह पूर्ण में पञ्च
व्यवसार कुलाधी हो तो वज्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : गृहीतिहारी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्ट्री : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4548

दिनांक: 13/02/2012

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध शा. कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2625495) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित फै.डी.डी.ए., बी.सी.ए., बी.कॉम., एवं बी.एस-सी. (बायोटेक-अ.वि.पि.) पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमोंविषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसार्थे प्रदान करने के लिये नानीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. जलिनी श्रीवार्थ, आचार्य, बायोकैमिस्ट्री अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442796)
- (2) प्रो. उमेश होलानी, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबन्धन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. एस.के. गुप्ता, उपाचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्राप्ति-संस्करण के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुक्र, घोरहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉक, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, बीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्टिक्लेन्स तथा यिष्टने सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र ले तथा ग्राहार्थ/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉक की नियुक्तियों का प्रमाण एवं रेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसार्थे अंकित करें। अहमविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों द्वारा सम्पर्क स्थापित हो जिरीक्षण करायें। समिति संयोजक द्वारा विवेदन है कि वे उक्त निरीक्षित समय में निरीक्षण करें एवं परिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जग्मा करने का उत्तराधित निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

"समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देसी के लिये विश्वविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बहरी करता है तो समिति उक्त निरीक्षण समिति और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय की दण्ड स्वलंप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुरुत्तरवान किया जायेगा। परिवेदन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन छोरों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय उप्रकरक पत्रावली लेकर जारीगे तथा महाविद्यालय की स्वतुष्टियति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों की टी.ए., डी.ए., मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर थोककर अश्वाह है कि ज्ञानीयों के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निरीक्षित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर

समस्त प्रभु सम्मान कुलसंघित जीवाजी
विश्वविद्यालय के बारे में लिखा जाए ग
कि किसी अन्य प्रशिक्षणी के बारे में।
सम्बोधित विषय पर वही धूर्ण ने प्रभु
सम्मान कुलसंघ और एवं उसके विभिन्न
कार्यक्रमों के बारे में लिखते हुए कहा है।



दाता : शुभेश्वरी
दूरध्वाप : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्ट : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसंघ,
जीवाजी विश्वविद्यालय
न्यालियर

क्रमांक-एक.सम्बन्धित/2009/ ५९२९

दिनांक २४/५/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर से सम्बन्ध शासकीय के आर.जी. कॉर्टेज, न्यालियर (0751-2625495) को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.बी.ए. द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अत्याधी लम्बाहृता हेतु अनुशंसारे प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर वे विश्वविद्यालय अधिविद्यम 1973 के परिवेद्यम 27(10) के अन्तर्गत विभागबुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैब, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. न्यालियर। (संयोजक)
(0751-2442828)

(2) प्रो. उमेश होलानी, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. न्यालियर।

(3) डॉ. योगेश उपाध्याय, विभागाध्यक्ष, प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., न्यालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेद्यम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर सुनक, द्वारा हर तात्पुरता, वासिक्षणिक/वैशेषिक स्टॉफ, प्राचीनकृत संस्करण से प्राप्त अनुग्रहित/अन्वापत्ति प्रगाण-पत्र, भवन, झीड़ा परिवहन एवं पाठ्यक्रम/आडिनेन्स तथा पिछले सत्र में वी गई शर्तों की पुर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/सौक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की विवृतियों का प्रमाण एवं बताए आदि को बारे में रूपान् विवरण/अनुशंसारों अंकित करें। गहाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष कृपना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर विरीक्षण करावें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे तथा विवृति समान में विरीक्षण कर्त्ता एवं प्रतिवेदन 03 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति नवव का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की जर्द देही के लिए महाविद्यालय लवण उत्तरदायी होगा। विवरणी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भौपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण नहीं करता है तो समिति लवण विस्तृत हो जावेगी और पुक्क विरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय के टप्पे लवण रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्परतात् ही विरीक्षण समिति का पुर्वज्ञव किया जावेगा। परिवेद्यम 27(11)/7 के अनुसार सम्बन्धित प्राप्त किए विना खत्रों को प्रदेश देवा अवैधानिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बन्धित शास्त्रों में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय उचायक प्रशासनी लेकर जारीजे तथा महाविद्यालय की वस्तुरिक्षण से विरीक्षण समिति को अवगत करावें। विरीक्षण समिति के सदस्यों को तीए / डी.ए. / जावेगा न्यालियर विश्वविद्यालय द्वारा देव

3/m/13
कुलसंघिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सुनावार्ण एवं आत्मानक कार्यालयी हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिवांक नियारित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करावें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करावे की व्यवस्था करें।
3. आयुजा उच्च शिक्षा, रातपुड़ा भवन, भौपाल
4. कुलसंघिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर
5. कुलपति के साथिव / कुलसंघिव के लिये सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर

J. J. Patel
उप-कुलसंघिव (सम्बन्धित)

जीवाजी विश्वविद्यालय, नवालियर

सम्बल पट अवधार कुलपति जीवाजी
विश्वविद्यालय के सभा ते हो किए जाएं जा
कि जीवाजी ग्रन्थ प्रशिक्षणी के सभा में।
सम्बल पट विद्या पट जीवाजी के सभा
अवधार कुल पट ते हो एवं इनका एवं विद्याजी
ग्रन्थपति जीवाजी जाएं जिसके लिए हो।



प्राप्त : कुलसचिव
दूसरा : (0751) 2341896
(0751) 2442829
सेक्टर : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
नवालियर

फ्रॉमःएफ/सम्बलपता/2009/ ८१७७

टिक्का: 14/08/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, नवालियर से सम्बल शासकीय के आर.जी. कॉलेज, नवालियर (0751-2625495) को सब 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.बी.ए. दूसरी वर्ष, पाठ्यक्रम कक्षा.पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी समझौता हेतु अनुशंसाएं प्रदल कर्के के लिये मालवीय कुलपति नहोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, नवालियर वे विश्वविद्यालय अधिकारियम 1973 के परिविद्यम 27(10) के अन्तर्गत जिम्माकुसार लिटीक्षण समिति का गठन किया है:-

(1) प्रो. ओ.पी. मिश्रा, आचार्य, गणित अध्ययनशाला, जी.वि.वि., नवालियर। (संयोजक)

(2) डॉ. राजेन्द्र खटीक, उपाचार्य, गणित एवं प्रबंध अध्ययनशाला, जी.वि.वि., नवालियर।
(3) प्रो. हेमन्त शर्मा, आचार्य, पुस्तकालय विभाग अध्ययनशाला, जी.वि.वि., नवालियर।

लिटीक्षण समिति के सदस्यों से जबुरोप है कि वे परिविद्यम 27/28 के प्राप्ताधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष लिटीक्षण कर दृष्टक, धरोहर राखि, भाषित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमतिप्राप्ताधार-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यपत्र/अडिक्वेन्च तथा विभिन्न सब गैरी गैरी शर्तों की पूर्ति ग्रन्थ पत्र के तथा पाचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की विस्तृपत्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के कारे में स्पष्ट विवरण अनुशंसाएं अंकित करें। महाविद्यालय ग्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर लिटीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर लिटीक्षण करें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधारित सभय में लिटीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। लिटीक्षण प्रतिवेदन जमा कर्के का उत्तरदायित्व लिटीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति ग्रन्थ का पत्र प्राप्त होने के बाद लिटीक्षण में की गई देशी के लिए ग्राहाविद्यालय तथा उत्तरदायी होगा। जिलकी कूचना जावनी और पुल विधारित समिति ग्रन्थ हेतु नठाविद्यालय को दण्ड त्वरण प.रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही लिटीक्षण समिति का पुर्ववर्त्तन किया जायेगा। परिविद्यम 27(11)(7) के अनुसार अनुमति प्राप्त होने के लिए विवा छात्रों को प्रवेश देना अवैधिक है।

लिटीक्षण समिति के साथ सम्बलता शाला में कर्तव्य अधीक्षक / कार्यालय उपायक पत्रालये लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की होगी।

प्रतिलिपि :-

1. सम्बल सदस्यों की ओट सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संविधित महाविद्यालय की ओट भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर लिटीक्षण दिनांक विधारित कर महाविद्यालय का लिटीक्षण करावें। उक्त लिटीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, राजपुढ़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिकार, जीवाजी विश्वविद्यालय, नवालियर
5. कुलपति के लिवर / कुलसचिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, नवालियर

कुलसचिव

उप. कुलसचिव (सम्बलता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के बारे से सी किया जावे न
कि किसी अन्य पत्रपिकारी के बारे न
सम्बिधान विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो उस क्रमांक एवं दिनांक
आवश्य लिखा जावे दिनांक सुनिया हो।



ग्राम : गूलीवर्टेली
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसंचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/संबद्धता/2012/ 5237

दिनांक : 12/09/12

// सूचना //

शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर में सत्र
2012-13 से बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में सीट संख्या में वृद्धि हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा
निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया है :-

1. प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, जी.वि.वि., ग्वालियर।
2. प्रो. डी.एन. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

गठित समिति के सदस्यों से अनुरोध है, कि प्रकरण ग्रंथि निरीक्षण कर प्रतिवेदन अतिशीघ्र
डी.सी.डी.सी. कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

समिति के सदस्यों को मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसंचिव

प्रति संबंधित सदस्यों की ओर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहा० कुलसंचिव (संबद्धता)